

हिंदी साहित्य के उत्कर्ष में प्रवासी भारतीयों का योगदान

Govind Singh Meena

Associate Professor in Hindi Department, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar,
Rajasthan, India

सार

हिन्दी में रचे जा रहे प्रवासी साहित्य का अपना वैशिष्ट्य है जो उसकी संवेदना, परिवेश, जीवन विषय तथा सरोकारों में दिखाई देता है। प्रवासी भारतीय समाज की सच्चाई को पूरी अन्तरंगता से उद्घाटन करने वाले बहुतेरे साहित्यकारों की बदौलत प्रवासी हिन्दी साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संभव हो सका है।

परिचय

संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से जारी 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक-2018 (The International Migrant Stock-2018)' रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2018 में दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1.75 करोड़ है। प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत, मैक्सिको और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 23% की वृद्धि हुई है। प्रवासियों की कुल संख्या वर्तमान आबादी का 3.5% है। नौकरी, उद्योग, व्यापार और दूसरे अन्य कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रहने वालों में भारतीयों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। [1,2,3]

दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर अनेक देशों के कानून और अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने वाली संस्थाओं का प्रमुख हिस्सा बनने में भारतीय कामयाब रहे हैं। इस आलेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी भारतीय किस तरीके से एक नई ताकत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरे हैं और अलग-अलग देशों में भारत के रिश्तों को लेकर उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है साथ ही यह भी जानेगे कि पिछले एक दशक में भारत ने किस प्रकार उनका समर्थन हासिल किया है और उसके क्या परिणाम रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के महत्व को मान्यता देने और देश से जुड़ने हेतु मंच प्रदान करने के लिये भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे।
- भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर की थी।
- वर्तमान केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यदि किसी विदेश दौरे पर जाता है तो वह उस देश में रह रहे प्रवासी भारतीयों के बीच अवश्य जाते हैं। इससे प्रवासी भारतीयों के मन में अपनेपन की भावना जन्म लेती है और वे भारत की ओर आकर्षित होते हैं।
- भारतीय 'ब्रेन-ड्रॉन' को 'ब्रेन-गेन' में बदलने के लिये भारत सरकार विदेश में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में जाने वाले कामगारों के लिये 'अधिकतम सुविधा' और 'न्यूनतम असुविधा' सुनिश्चित करना चाहती है।

भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य

- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान कर उनको दुनिया के सामने लाना है।

- प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिये एक मंच उपलब्ध कराना।
- विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना।
- युवा पीढ़ी को प्रवासियों से जोड़ना तथा विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयाँ जानना तथा उन्हें दूर करने के प्रयास करना।

प्रवासी भारतीयों की वैश्विक स्थिति

- खाड़ी देशों में लगभग 8.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है।
- अरब प्रायद्वीप की भौगोलिक और ऐतिहासिक निकटता इसे भारतीयों के लिये एक सुविधाजनक स्थान बनाती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 4 मिलियन भारतीय रहते हैं। यहाँ मैक्सिको के बाद भारतीयों का दूसरा सबसे अधिक संकेंद्रण है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2017 के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका रहेगी।
- इसके अतिरिक्त कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, माँगीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल सहित अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है।

प्रवासी भारतीयों का वर्गीकरण

- अनिवासी भारतीय
 - 'अनिवासी भारतीय' (Non-Resident Indian-NRI) का अर्थ ऐसे नागरिकों से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं या जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(A) के दायरे में 'विदेशी भारतीय नागरिक' कार्डधारक हैं। [4,5,6]
 - आयकर अधिनियम के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जो "भारत के निवासी" के रूप में मानदंडों को पूरा नहीं करता है, वह भारत का निवासी नहीं है और उसे आयकर देने के लिये अनिवासी भारतीय माना जाता है।
- भारतीय मूल का व्यक्ति
 - भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin-PIO) का मतलब एक विदेशी नागरिक (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका और नेपाल को छोड़कर) से है, जो:
 1. किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारक हो या
 2. वह या उसके माता-पिता / पितामह, दोनों ही भारत में जन्मे हों या भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रभावी होने से पूर्व से भारत के स्थायी नागरिक हों या इस अवधि के बाद किसी क्षेत्र के भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व वहाँ के निवासी हो।
- ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया
 - प्रवासी भारतीयों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक छद्म नागरिकता योजना बनाई गई, जिसे 'विदेशी भारतीय नागरिकता' आमतौर पर ओसीआई कार्डधारक के रूप में जाना जाता है।
 - प्रवासी भारतीयों को अनिवासी भारतीयों के समान सभी अधिकार (कृषि एवं बागान अधिग्रहण का अधिकार) दिए गए हैं।

प्रवासी भारतीयों का महत्व

- स्वतंत्रता आंदोलन में
 - दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने के लिये किया गया महात्मा गांधी का संघर्ष आधुनिक भारत में प्रवासी भारतीयों से स्वयं को जोड़ने के लिये एक प्रेरणादायक किंवदंती बन गया।

- प्रवासी भारतीय प्रमुख देशों के राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के बीच भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिये एक वाहक बन गए।
- सांस्कृतिक विस्तार के रूप में प्रवासी
 - प्रवासन का कार्य केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक सांस्कृतिक विस्तार भी है।
 - सिख समुदाय भारत के सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। ये यूके, कनाडा और कई अन्य देशों में निवास कर रहे हैं तथा भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित करा रहे हैं।
- प्रेषण
 - किसी अन्य देश में निवास कर रहे कर्मचारी द्वारा अपने देश में किसी व्यक्ति को पैसे का हस्तांतरण करना ही प्रेषण है।
 - प्रवासियों द्वारा घर भेजा गया पैसा विकासशील देशों के सबसे बड़े वित्तीय प्रवाह में से एक है।
 - विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2018 में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने के साथ भारत ने दुनिया के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।
- प्रवासी 'परिवर्तन के वाहक' के रूप में
 - यह प्रवासी निवेश को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 'परिवर्तन के वाहक' के रूप में कार्य करता है।
- तकनीकी विकास और उद्यमिता[7,8,9]
 - सक्रिय प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों के पोषण और सामाजिक-आर्थिक विकास में वृद्धि करने में प्रमुख योगदान तकनीकी क्षेत्र का भी रहा है।
 - कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय मूल के व्यक्ति निर्णायक पदों पर आसीन हैं। जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेसिको इत्यादि शामिल हैं।
- वैश्विक कद में वृद्धि
 - प्रवासी भारतीयों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता एक वास्तविकता बन सकती है।
 - भारत ने नवंबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की पुनर्नियुक्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र में दो-तिहाई मत हासिल कर अपने राजनयिक प्रभाव का प्रदर्शन किया।
 - राजनीतिक दबाव, मंत्रिस्तरीय और राजनयिक स्तर की पैरवी के अलावा भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता का समर्थन करने के लिये विभिन्न देशों में मौजूद अपने प्रवासी भारतीय समुदाय का लाभ उठा सकता है।
- प्रवासी कूटनीति
 - एक बड़े प्रवासी समूह के होने से अमूर्त लेकिन महत्वपूर्ण लाभ 'प्रवासी कूटनीति' है।
 - ऐतिहासिक रूप से भारत को अपने प्रवासी भारतीयों से लाभ हुआ है। चाहे वह विदेशों से भेजे गए प्रेषण के रूप में हो या वर्ष 2008 में यूएस-इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिल की पैरवी।

प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्याएँ

- नस्लीय विरोध- नस्लवाद के कारण स्थानीय लोगों द्वारा भारतीयों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मार-पीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कई देशों में अति राष्ट्रवादी सरकारों के सत्ता में आने से सांप्रदायिकता की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।
- आतंक- मध्य पूर्व के देशों (यमन, ओमान, लीबिया, सीरिया आदि) में सांप्रदायिक संकट, बढ़ती आतंकवादी गतिविधियाँ और युद्ध प्रवासी भारतीयों के लिये प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर रही हैं।

- संरक्षणवाद- प्रवासी लोगों के कारण नौकरियों और शैक्षिक अवसरों को खोने के डर के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सहित कई देशों में सछत वीज़ा नियम लागू किये जा रहे हैं।

प्रवासी भारतीय समुदाय को जोड़ने में सरकार की भूमिका

- वर्ष 2004 में प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय' की स्थापना की है। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ और उनकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
 - भारत को जानें कार्यक्रम- भारत को जानें कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 26 आयु वर्ग के प्रवासी युवाओं को देश के विकास और उपलब्धियों से परिचित कराना और उन्हें उनके मूल देश से भावनात्मक रूप से जोड़ना है।
 - भारत का अध्ययन कार्यक्रम- भारत का अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास से परिचित कराने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।
 - प्रवासी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम- इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय मूल के प्रवासियों और गैर-प्रवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी, मानविकी, वाणिज्य, प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि और पशु पालन आदि विषयों में सातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 100 छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र चार हजार अमेरिकी डॉलर तक की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।[10,11]
 - प्रवासी भारतीय बीमा योजना- इस योजना के तहत विदेशगमन की अनुमति मिलने के बाद रोज़गार के लिये विदेश गए प्रवासी भारतीय की मृत्यु अथवा विकलांगता पर नामित/आधिकारिक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है।
 - महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना- इस योजना को प्रायोगिक तौर पर 1 मई, 2012 को केरल में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विदेशी भारतीय कामगारों को बढ़ावा देना और सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त वापसी एवं पुर्नवास की सुरक्षा, उनके पेंशन की सुरक्षा और प्राकृतिक मौत की दशा में जीवन बीमा लाभ दिलाने में सरकार के द्वारा मदद प्रदान करना है।

प्रवासी भारतीय समुदाय पर विश्वास का प्रश्नचिन्ह

- प्रवासी भारतीयों का समर्थन न तो स्वचालित है और न ही निरंतर है, उनके हितों में भारत की प्राथमिकताएँ सीमित हैं। उदाहरण के लिये, अमेरिका में भारतीय समुदाय H1-B वीजा कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के ट्रूप के प्रस्ताव की आलोचना करने में पर्याप्त मुखर नहीं था क्योंकि इससे कई भारतीय लाभान्वित हो रहे थे।
- एक चुनौती यह भी है कि प्रेषणों का उपयोग हमेशा लाभकारी उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाता है क्योंकि खालिस्तान आंदोलन जैसे चरमपंथी आंदोलनों के लिये विदेशी फंडिंग के कारण भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय की उपस्थिति इस वर्ष होने वाले चुनावों में ट्रम्प को अपने वोट बैंक के रूप में दिख रही है जबकि प्रवासी भारतीय समुदाय के अधिकांश लोगों का द्विकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर रहा है।
- विदेश नीति को निर्धारित करने में भारत को प्रवासी भारतीय समुदाय का प्रयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिये क्योंकि नेपाल और श्रीलंका की घेरे राजनीति में हस्तक्षेप से भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत को विदेश नीति का निर्धारण करते समय स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी प्रमुख परियोजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
- सरकार को अपना ध्यान प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित करना चाहिये क्योंकि वे भारत के लिये एक रणनीतिक संपत्ति हैं।

विचार-विमर्श

प्रवासी भारतीय जो संवेदनशील थे, उन्होंने विदेश में अपने प्रवास के दौरान आने वाली समस्याओं को, अपने आस-पास घटित घटनाओं को अपनी क़लम के माध्यम से साहित्य द्वारा उजागर किया। अपने विचारों, अपनी सौच,

दृष्टिकोण, चिंतन, व मान्यताओं द्वारा लेखन कार्य प्रारम्भ किया। अपने सामाजिक परिवेश से व परिस्थितियों से प्रभावित हो कर अलग-अलग विषयों में साहित्य की रचना की। यहीं से 'प्रवासी हिन्दी साहित्य' का 'श्री गणेश' हुआ। प्रवासी हिन्दी साहित्य भारतीयों के पलायन व उन्हें दरपेश मुश्किलों के अलावा उनके जीवन संघर्ष की गाथा को प्रस्तुत करता है। आधुनिक प्रवासी हिन्दी कथा-साहित्य पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि भारत के बाहर दुनिया के कई देशों में हिन्दी कथा साहित्य रचा जा रहा है। मौरीशस, सूरीनाम, फ़्रीजी में तो यह था ही अब यह अमेरिका, कैनेडा, च्यूज़ीलैंड, डेनमार्क, अर्जेण्टीना, नॉर्वे, जापान, अबूधाबी में भी खूब फल-फूल रहा है। आज यह मात्र भारत के भीतर ही सीमित न होकर पूरे विश्व में फैला हुआ है। प्रवासी साहित्य को अलग करके देखने की बजाए, उसे हिन्दी की मुख्यधारा में स्थान दिया जाए। विदेशों में रहने वाले लेखक जब संस्कृति के टकराव के बारे में लिखते हैं, तो लोगों को उच्च श्रेणी के साहित्य से मुखातिब होने का अवसर मिलता है। गाँव से शहर में आकर बसने वाले लोगों में भी प्रवास का दर्द देखा जा सकता है। यहीं वज़ह है कि साहित्य स्थापित मूल्यों के विरुद्ध मुहिम चलाने का काम कर रहा है।

भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की लड़ाई महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से आरम्भ की। हिन्दी साहित्य में मौरिशस में रचित हिन्दी साहित्य की एक अलग पहचान है। इसके पुरोधाओं में मौरिशस के अभिमन्यु अनत का नाम सर्पोपरि आता है। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाएँ कविता, कथा-साहित्य आदि की रचनाओं से प्रवासी साहित्य को समृद्ध किया है। इनका 'लाल पसीना' उपन्यास बहुत ही चर्चित उपन्यास है। इसमें भारतवंशी की वेदनाओं का चित्रण बहुत मर्मस्पर्शी है। इसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में प्रवासी भारतीयों की हिन्दी रचनाएँ आती हैं। इंग्लैंड में हिन्दी साहित्य के विकास में डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का नाम सर्वोपरि है। डॉ सिंघवी ने इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त रहते हुए भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एकल कवि सम्मेलन कराया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में प्रवासी साहित्य के विकास में श्रीमती शैल अग्रवाल, पद्मेश गुप्त, तितिक्षा शाह, कृष्ण कुमार, तेजेन्द्र, शर्मा, दिव्या माधुर आदि ने अपनी रचनाओं से अहम भूमिका निभाई है। विदेश में रहने वाले हिन्दी साहित्यकार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उनकी रचनाओं में अलग-अलग देशों की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हिन्दी की साहित्यिक रचनाशीलता का अंग बनती हैं, विभिन्न देशों के इतिहास और भूगोल का हिन्दी के पाठकों तक विस्तार होता है। विभिन्न शैलियों का आदान-प्रदान होता है और इस प्रकार हिन्दी साहित्य का अंतरराष्ट्रीय विकास भी होता है।

वरिष्ठ कथाकार सुषम बेदी का कहना है कि प्रवासी लेखन ने विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। फ़िलहाल प्रवासी साहित्य का बड़ा मुद्दा अस्मिता का है। प्रवासी लेखक को राष्ट्रीय बद्धता में बँधने की ज़रूरत नहीं। जबकि भारत के साहित्यकार की रचनाएँ समाज व राष्ट्रीयता से बँधी नज़र आती हैं। जीवन शैली की भिन्नता, सोच का वैभिन्न और भाषागत भिन्नता एक क़िस्म का "कल्वरल शॉक" देती रही हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की इस टकराहट की अनुगूँज इनके लेखन में स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है। अपनी लेखनी से इस लेखिका त्रयी ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया वरन् उसका परिचय एक ऐसे कथालोक से कराया जो इससे पहले हिन्दी साहित्य में अनजाना था। आज के प्रवास में एक द्वन्द्व की स्थिति है। मान्यताएँ टकराती हैं और निजी संघर्ष पैदा होते हैं। इन्हीं टकराहटों और निजी संघर्षों का प्रवासी साहित्य अधिक है। निजी संघर्षों से बाहर आकर प्रवास की स्थितियों में वहाँ के जीवन में झाँकने के उत्सुक प्रयास भी हैं, लेकिन बहुत कम। इन दोनों से ऊपर उठकर, व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक संघर्षों और उथल-पुथल के साहित्य की अनुपस्थिति खटकती है। बृहत्तर मानवीय मूल्यों, सरोकारों और उन संघर्षों की निर्ममताओं का साहित्य नहीं है, जो हर ऊँचे साहित्य की पहली शर्त बनती है। [8,9]

प्रमुख प्रवासी लेखक तेजेन्द्र शर्मा का कहना है कि विदेशों में बैठकर लिखने वाले लेखकों को प्रवासी न कहा जाए। उन्होंने कहा कि उषा प्रियंवदा ने भारत में रहकर साहित्य की रचना की। बावजूद इसके उन्हें प्रवासी साहित्यकारों की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने पूरे हिन्दी साहित्य को प्रवासी बताया और कहा कि अमेरिका, कैनेडा तथा लंदन में लिखा जा रहा साहित्य मुख्यधारा का साहित्य है। विदेशों में युवा हिन्दी नहीं जानते, जबकि भारत में भी नई पीढ़ी हिन्दी से विमुख हो रही है। डर है कहीं विदेशों में लिखा जाने वाला साहित्य खत्म न हो जाए। या फिर साहित्य को बचाए रखने के लिए माइग्रेशन का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। उन्होंने आलोचकों से आह्वान किया कि वे पुराने हथियारों से उनके साहित्य का आंकलन न करें। प्रवासी जीवन का यथार्थ वापस लौटने के स्वप्न और न लौट पाने की बाध्यता के बीच दोहरेपन की मानसिकता होती है। अतीतानुराग की भावुकता से छुटकारा न पा सकने के कारण अपने वर्तमान को अस्वीकार करने और अतीत में जीने की मानसिकता खुद उनके लिए जड़ता, विषमता और अलगाव पैदा करती है। सुधीश पचौरी के अनुसार "प्रवासियों में एक विभक्त भाव होता है एक ही वक्त में दो दुनियाओं को पुकारता है। एक वह जिसमें डॉलर कमाने, विदेश पलट होने, अमीर होने के लिए वह परदेस में नाना कष्ट सहता अपने देश की याद करता रहता है। दूसरा वह जो याद आने वाले 'देश' के यथार्थ को भी जानता है जिससे उबकर वह 'परदेश' भागा था। परदेस में उसका 'देश' प्रेम ज़ोर मारता है और देश में परदेस प्रेम। पूँजीवादी सभ्यता की मारकाट वाली स्वर्धा, हर वक्त की असुरक्षा, अकेलापन उसे डॉलर देती है। कहीं न कहीं सभी प्रवासी अपनी मूल संस्कृति, मूल परम्परा और मानस से स्वभावतः या प्रकृतिजन्य रूप से जुड़े रहते हैं। यह जुड़ा रहना अवसरों, कुअवसरों पर बाहर भी झाँकने लगता है। परम्परायें, रीतिरिवाज़, लोक जीवन में रची-बसी गहरी आकृतियाँ, मौसम-बेमौसम हमारे व्यवहार, हमारी सृति और हमारी पहचान को उकेरती रहती हैं। भाषा का इस एहसास से बड़ा सीमित सा रिश्ता रह जाता है। सिर्फ़ उन लोगों में भाषा इस एहसास का

अहम हिस्सा बनती है जो काफ़ी देर से, परिपक्वस्था में अपना परिवेश छोड़ कर यहाँ आ बसे। आधे मन से वह उसमें लगता है लेकिन वह यह भी चाहता है कि डॉलर रहे संग में अपना गाँव भी रहे तो मज़ा है। इस तरह प्रवासी भाव देश-परदेस के बीच विभाज्य भाव है।" प्रवासी भारतीयों की दोहरी मानसिकता के संदर्भ में दुर्गा प्रसाद गुप्त का मत है "यह ऐसा भारतीय मन है जो एक तरफ़ भारत के आधात्मिक अतीत पर मुग्ध होता है, उसके लिए आहें भरता है तो दूसरी तरफ़ भौतिकता में उलझे उसके गरीब और पिछड़े वर्तमान पर आँसू बहाता है। उसके प्रति विरक्ति भाव से प्रेम प्रदर्शित करता है। - यह विभाजित मन उन प्रवासी भारतीयों का है जो न तो सही अर्थों में अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति तटस्थ रह पाते हैं और न निर्वैकिति। फिर भी वे दोनों संस्कृतियों के प्रेमी आलोचक हैं।" श्यामा चरण दुबे के अनुसार "ये वे लोग हैं जो विदेशों में भारतीय और भारत में विदेशी जीवन शैली और मूल्यों के साथ जीते हैं। उनकी जड़ें भारतीय परम्परा में नहीं होती, पर साथ ही उनका पश्चिमीकरण भी बहुत सतही स्तर वाला होता है। वे पश्चिमी संस्कृति के बाह्य लक्षणों का अनुकरण करते हैं, पर गहराई में जाकर उसकी आत्मा से साक्षात्कार करने से कतराते हैं। साथ ही वे पश्चिमी संस्कृति के सुख-सुविधा और स्वच्छंदता तो चाहते हैं पर उससे होने वाला सांस्कृतिक अवमूल्यन उन्हें चिन्तित करता है। प्रवासी भारतीयों के हिंदी साहित्य में अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा अस्ट्रेलिया, नीदरलैण्ड, नर्वे, डेनमार्क आदि देशों में भारतीय प्रवासियों की पहली पीढ़ी का साहित्य आता है। ये लोग अपने बेहतर जीवन और शिक्षा के लिए इन देशों में गए और अपने हिंदी प्रेम के कारण, हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति की भाषा बनाया। इस प्रकार ये दो भिन्न धाराएँ प्रवासी भारतीय की संवेदना एवं चेतना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। प्रवासी साहित्य के माध्यम से ज्ञात होता है कि भारतेतर देशों में भारतीय कैसे जीवन-यापन करते हैं। उनका जीवन-संघर्ष क्या है तथा परदेश में स्वदेश की कोई सत्ता या अनुभूति है या नहीं इसका परिचय मिलता है। प्रवासी साहित्य के माध्यम से दो नस्लों के व्यक्ति एक साथ मिलते हैं। इस मिलन से एक नई नस्ल का जन्म होता है। इस प्रकार के सम्मिलन से भिन्न प्रकार की संस्कृति, भाषा और साहित्य का जन्म होता है। हिंदी का प्रवासी साहित्य, हिंदी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करता है। जिस प्रकार हिंदी में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, नई कहानी, दलित साहित्य, स्त्री विमर्श आदि की स्वतंत्र सत्ता है; उसी प्रकार प्रवासी हिंदी साहित्य, भारतेतर देशों में हिंदी साहित्य की पहचान है। इधर हिंदी के कुछ एक आलोचक भारतेतर देशों में रचित साहित्य, को साहित्य की श्रेणी में स्वीकार करने के पक्षधर नहीं हैं। इस प्रकार की अवधारणा भारतीय भाषाओं के अन्य साहित्य में नहीं हैं। इन आलोचकों की अवधारणाएँ ही हिंदी साहित्य को पीछे धकेलती हैं। यही कारण है कि भारतीय भाषाओं का मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं का साहित्य हिंदी से टक्कर लेने के लिए तत्पर रहता है।

वरिष्ठ कथाकार सुषम बेदी का कहना है कि प्रवासी लेखन ने विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। फ़िलहाल प्रवासी साहित्य का बड़ा मुद्दा अस्मिता का है। प्रवासी लेखक को राष्ट्रीय बद्धता में बँधने की ज़रूरत नहीं। जबकि भारत के साहित्यकार की रचनाएँ समाज व राष्ट्रीयता से बँधी नज़र आती हैं। जीवन शैली की भिन्नता, सोच का वैभिन्न और भाषागत भिन्नता एक क़िस्म का "कल्वरल शॉक" देती रही हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की इस टकराहट की अनुगूँज इनके लेखन में स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है। अपनी लेखनी से इस लेखिका त्रयी ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया वरन् उसका परिचय एक ऐसे कथालोक से कराया जो इससे पहले हिन्दी साहित्य में अनजाना था। आज के प्रवास में एक द्वन्द्व की स्थिति है। मान्यताएँ टकराती हैं और निजी संघर्ष पैदा होते हैं। इन्हीं टकराहटों और निजी संघर्षों का प्रवासी साहित्य अधिक है। निजी संघर्षों से बाहर आकर प्रवास की स्थितियों में वहाँ के जीवन में झाँकने के उत्सुक प्रयास भी हैं, लेकिन बहुत कम। इन दोनों से ऊपर उठकर, व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक संघर्षों और उथल-पुथल के साहित्य की अनुपस्थिति खटकती है। बृहत्तर मानवीय मूल्यों, सरोकारों और उन संघर्षों की निर्ममताओं का साहित्य नहीं है, जो हर ऊँचे साहित्य की पहली शर्त बनती है।

प्रमुख प्रवासी लेखक तेजेंद्र शर्मा का कहना है कि विदेशों में बैठकर लिखने वाले लेखकों को प्रवासी न कहा जाए। उन्होंने कहा कि उषा प्रियवंदा ने भारत में रहकर साहित्य की रचना की। बावजूद इसके उन्हें प्रवासी साहित्यकारों की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को प्रवासी बताया और कहा कि अमेरिका, कैनेडा तथा लंदन में लिखा जा रहा साहित्य मुख्यधारा का साहित्य है। विदेशों में युवा हिंदी नहीं जानते, जबकि भारत में भी नई पीढ़ी हिंदी से विमुख हो रही है। डर है कहीं विदेशों में लिखा जाने वाला साहित्य खत्म न हो जाए। या फिर साहित्य को बचाए रखने के लिए माइग्रेशन का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। उन्होंने आलोचकों से आह्वान किया कि वे पुराने हथियारों से उनके साहित्य का आंकलन न करें। प्रवासी जीवन का यथार्थ वापस लौटने के स्वप्न और न लौट पाने की बाध्यता के बीच दोहरेपन की मानसिकता होती है। अतीतानुराग की भावुकता से छुटकारा न पा सकने के कारण अपने वर्तमान को अस्वीकार करने और अतीत में जीने की मानसिकता खुद उनके लिए जड़ता, विषमता और अलगाव पैदा करती है। सुधीश पचौरी के अनुसार "प्रवासियों में एक विभक्त भाव होता है एक ही वक्त में दो दुनियाओं को पुकारता है। एक वह जिसमें डॉलर कमाने, विदेश पलट होने, अमीर होने के लिए वह परदेस में नाना कष्ट सहता अपने देश की याद करता रहता है। दूसरा वह जो याद आने वाले 'देश' के यथार्थ को भी जानता है जिससे उबकर वह 'परदेश' भागा था। परदेस में उसका 'देश' प्रेम ज़ोर मारता है और देश में परदेस प्रेम। पूँजीवादी सभ्यता की मारकाट वाली स्पर्धा, हर वक्त की असुरक्षा, अकेलापन उसे डॉलर देती है। कहीं न कहीं सभी प्रवासी अपनी मूल संस्कृति, मूल परम्परा और मानस से स्वभावतः या

प्रकृतिजन्य रूप से जुड़े रहते हैं। यह जुड़ा रहना अवसरों, कुअवसरों पर बाहर भी झाँकने लगता है। परम्परायें, रीति-रिवाज़, लोक जीवन में रची-बसी गहरी आकृतियाँ, मौसम-बेमौसम हमारे व्यवहार, हमारी स्मृति और हमारी पहचान को उकेरती रहती हैं। भाषा का इस एहसास से बड़ा सीमित सा रिश्ता रह जाता है। सिर्फ उन लोगों में भाषा इस एहसास का अहम हिस्सा बनती है जो काफ़ी देर से, परिपक्वास्था में अपना परिवेश छोड़ कर यहाँ आ बसे। आधे मन से वह उसमें लगता है लेकिन वह यह भी चाहता है कि डॉलर रहे संग में अपना गाँव भी रहे तो मज़ा है। इस तरह प्रवासी भाव देश-परदेस के बीच विभाज्य भाव है।" प्रवासी भारतीयों की दोहरी मानसिकता के संर्दर्भ में दुर्गा प्रसाद गुप्त का मत है "यह ऐसा भारतीय मन है जो एक तरफ़ भारत के आध्यात्मिक अतीत पर मुग्ध होता है, उसके लिए आहें भरता है तो दूसरी तरफ़ भौतिकता में उलझे उसके गरीब और पिछड़े वर्तमान पर आँसू बहाता है। उसके प्रति विरक्ति भाव से प्रेम प्रदर्शित करता है। - यह विभाजित मन उन प्रवासी भारतीयों का है जो न तो सही अर्थों में अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति तटस्थ रह पाते हैं और न निर्वैकितिक। फिर भी वे दोनों संस्कृतियों के प्रेमी आलोचक हैं।" श्यामा चरण दुबे के अनुसार "ये वे लोग हैं जो विदेशों में भारतीय और भारत में विदेशी जीवन शैली और मूल्यों के साथ जीते हैं। उनकी जड़ें भारतीय परम्परा में नहीं होती, पर साथ ही उनका पश्चिमीकरण भी बहुत सतही स्तर वाला होता है। वे पश्चिमी संस्कृति के बाह्य लक्षणों का अनुकरण करते हैं, पर गहराई में जाकर उसकी आत्मा से साक्षात्कार करने से कतराते हैं। साथ ही वे पश्चिमी संस्कृति के सुख-सुविधा और स्वच्छंदता तो चाहते हैं पर उससे होने वाला सांस्कृतिक अवमूल्यन उन्हें चिन्तित करता है। प्रवासी भारतीयों के हिंदी साहित्य में अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा अस्ट्रोलिया, नीदरलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क आदि देशों में भारतीय प्रवासियों की पहली पीढ़ी का साहित्य आता है। ये लोग अपने बेहतर जीवन और शिक्षा के लिए इन देशों में गए और अपने हिंदी प्रेम के कारण, हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति की भाषा बनाया। इस प्रकार ये दो भिन्न धाराएँ प्रवासी भारतीय की संवेदना एवं चेतना का व्यापक परिवृश्य प्रस्तुत करता है। प्रवासी साहित्य के माध्यम से ज्ञात होता है कि भारतेतर देशों में भारतीय कैसे जीवन-यापन करते हैं। उनका जीवन-संघर्ष क्या है तथा परदेश में स्वदेश की कोई सत्ता या अनुभूति है या नहीं इसका परिचय मिलता है। प्रवासी साहित्य के माध्यम से दो नस्लों के व्यक्ति एक साथ मिलते हैं। इस मिलन से एक नई नस्ल का जन्म होता है। इस प्रकार के सम्मिलन से भिन्न प्रकार की संस्कृति, भाषा और साहित्य का जन्म होता है। हिंदी का प्रवासी साहित्य, हिंदी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करता है। जिस प्रकार हिंदी में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, नई कहानी, दलित साहित्य, स्त्री विमर्श आदि की स्वतंत्र सत्ता है; उसी प्रकार प्रवासी हिंदी साहित्य, भारतेतर देशों में हिंदी साहित्य की पहचान है। इधर हिंदी के कुछ एक आलोचक भारतेतर देशों में रचित साहित्य, को साहित्य की श्रेणी में स्वीकार करने के पक्षधर नहीं हैं। इस प्रकार की अवधारणा भारतीय भाषाओं के अन्य साहित्य में नहीं हैं। इन आलोचकों की अवधारणाएँ ही हिंदी साहित्य को पीछे धकेलती हैं। यही कारण है कि भारतीय भाषाओं का मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं का साहित्य हिंदी से टक्कर लेने के लिए तत्पर रहता है। [10,11]

१० जनवरी २००३ को प्रवासी दिवस मनाए जाने के साथ ही दिल्ली में प्रवासी हिंदी उत्सव का श्रीगणेश हुआ। प्रवासी हिंदी उत्सव में ऐसे लोगों को रेखांकित करने और प्रोत्साहित करने के काम की ओर भारत की केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों तथा व्यक्तिगत संस्थाओं ने रुचि ली, जो विदेश में रहते हुए हिंदी में साहित्य रच रहे थे। भारत की प्रमुख पत्रिकाओं जैसे वार्गर्थ, भाषा और वर्तमान साहित्य ने भी प्रवासी विशेषांक प्रकाशित कर के इन साहित्यकारों को भारतीय साहित्य की प्रमुख धारा से जोड़ने का काम किया। इस तरह इकीसर्वी सदी के प्रारंभ में आधुनिक साहित्य के अंतर्गत प्रवासी हिंदी साहित्य के नाम से एक नए युग का प्रारंभ हुआ। आज हिन्दी विश्व की सर्वाधिक बोली जानेवाली पाँच भाषाओं में है तो इसका श्रेय उस विशाल प्रवासी समुदाय को भी जाता है, जो भारत से इतर देशों में जाकर बसने के बावजूद हिन्दी को अपनाए हुए हैं। इन देशों में रचा जा रहा साहित्य, उस देश के परिवेश से ही हमारा परिचय नहीं करता, वरन् उनकी भाषा से शब्द भी ग्रहण कर रहा है। फलस्वरूप हिन्दी का भी एक नया स्वरूप विकसित हो रहा है और उस हिन्दी में लिखे गए साहित्य का एक अलग स्वाद है।

परिणाम

आजादी के बाद से हिन्दी का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो रहा है। खासतौर से फ़िल्मों, सोशियल मीडिया और साहित्य के माध्यम से। हिन्दी में छपने वाले समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ भी इसके प्रचार-प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। "सूचना तथा ज्ञान के इस युग में भारत की यह ऐसी उपलब्धि है, जिससे हिन्दी के साथ सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा। हिन्दी के बढ़ते चरण संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वार पर बराबर दस्तक दे रहे हैं। अपने देश में संपर्क भाषा के रूप में उभरकर आने वाली हिन्दी भाषा विश्व के मानचित्र पर अपना दृढ़ स्थान बनाती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज (UNL) के लिए शब्द कोश, एन.कन्वर्टर और जी.कन्वर्टर के विकास करने हेतु जिस संस्थान की स्थापना हुई है, उसकी मुख्य एजेंसी मुबई का भारतीय प्रोटोग्राफिक संस्थान ही है। यह संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का ऐसा प्रयास है जिसमें विश्व की सौलह भाषाएँ सम्मिलित हैं। हिन्दी भी उनमें से एक है। "सत्रह बोलियों-खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली,

छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालकी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, पहाड़ी पश्चिमी, मध्यवर्ती पहाड़ी तथा गढ़वाली-कुमाऊँनी का प्रतिनिधित्व करने वाली हिन्दी में यह योग्यता है कि वह भारत के जनमानस की बोली और साहित्य की भाषा बन सके। कोई भाषा किसी देश व समाज के साहित्य की भाषा बनती भी इसीलिए है कि उसे सम्बन्धित समाज का बहुतर हिस्सा बोलता वह समझता है। इतना ही नहीं भाषा किसी राष्ट्र की संस्कृति और उसकी अस्मिता की संवाहक होती है। - "फादर कामिल बुल्के का कथन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हिन्दी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है वरन् बोलने और समझने की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा-भाषियों ने हिन्दी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। निश्चय ही, हिन्दी मात्र एक भाषा ही नहीं है वरन् राष्ट्रीय एकता की कड़ी है, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। "

इसी भारतीय एकता और अस्मिता का एक सजग पहरूआ 'प्रवासी साहित्य' है। इसने न केवल देश में अपितु दुनिया के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक पहचान की खुशबू बिखेरी है। विश्व के अनेक देशों में भारतवंशी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्थान की ध्वज पताका फहराने में लगे हैं। साहित्य के माध्यम से उनकी राष्ट्र और संस्कृति संबंधी सेवाएँ सामने आ रही हैं। इससे न केवल भारत को विदेशी संस्कृति का ज्ञान हो रहा है बल्कि विश्व भी भारतीय-संस्कृति से परिचित हो रहा है। साथ ही, हिन्दी भाषा और साहित्य का निरन्तर प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है, जिससे हिन्दी भाषा राष्ट्र की देहरी लाँघकर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की राह पर अग्रसर है। "हिन्दी के इस प्रवासी साहित्य के इस सर्वेक्षण से हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं। इस प्रकाशित साहित्य ने हिन्दी को वैश्विक रूप प्रदान किया है और अब हिन्दी का कभी सूर्यास्त नहीं होगा। हिन्दी का प्रवासी साहित्य भारतेतर देशों को भारत से जोड़ने का एक सेतु बनता है जिसके मूल में भारतवासियों का स्वदेश-प्रेम, भाषा-प्रेम, संस्कृति-प्रेम के साथ उनकी संलग्नता, सहभागिता एवं सहयोग अट्टट रूप में सम्बद्ध है। यह सेतु विश्व-व्यापी हिन्दी साहित्यिक समाज का निर्माण करता है, विभिन्न देशों के हिन्दी लेखक एवं हिन्दी समाज भारत के हिन्दी समाज से जुड़ते हैं और परस्पर एक दूसरे के निकट हिन्दी-विश्व को सबल एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं। "

इस तरह की हिन्दी सेवा आज बड़े पैमाने पर भारतवंशी, प्रवासी साहित्यकार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हिन्दी में साहित्य लिखा व छापा जा रहा है। हालाँकि विदेशी जमीन पर इस सन्दर्भ में काफी कठिनाइयाँ भी आ रही हैं। खासतौर से विदेशों में प्रवासी साहित्य के प्रकाशकों एवं पाठकों को लेकर। बावजूद इसके विभिन्न देशों में बसे प्रवासी साहित्यकार साहित्य की लगाभग सभी विधाओं में सृजन कर रहे हैं। वे निरन्तर ऐसे आयोजन कर रहे हैं जिससे कि हिन्दी को विश्वस्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। विभिन्न अर्थिक व सामाजिक कठिनाइयों के बाद भी प्रवासी साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है उससे कहना पड़ता है कि - "भारतेतर देशों में भारतवंशियों के हिन्दी साहित्य ने अपना एक भरा-पूरा संसार निर्मित किया है और उसके आकार, मात्रा एवं स्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस प्रवासी हिन्दी साहित्य ने अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है, क्योंकि वह अपनी संवेदना, सरोकार, जीवन-मूल्यों एवं रूप-रचना में अपनी अलग विशिष्टता रखता है। परदेस में रहते हुए स्वदेश का देखने का दृष्टिकोण बदलता है और वहाँ की परिस्थितियाँ, जीवन-संघर्ष आदि भी जीवन को देखने-समझने-जीने के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी रूप से उद्देलन एवं परिवर्तन उत्पन्न करता है। प्रवासी लेखक अनेक बार स्वदेश-परदेश के द्वारा में जीता है और नई-नई अनुभूतियों, तनावों ओर विसंगतियों से गुजरता है और रचना में नये भाव-बोध, नया दृष्टिकोण तथा नये जीवनमूल्यों की सर्जना होती है। हिन्दी को इस प्रकार एक नए प्रकार का साहित्य मिलता है जो भारत में रहते हुए नहीं रचा जा सकता था। "विदेशों की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के विषय में जो ज्ञान प्रवासी साहित्य के माध्यम से भारतीय साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को प्राप्त हो रहा है इससे उनके देश व दुनिया के ज्ञान में नित नूतन अनुभव जुड़ रहे हैं। वे साहित्य में जहाँ नई ऊँचाइयाँ छू रहे हैं वहाँ दुनिया को समझने के उनके दृष्टिकोण में भी खासे परिवर्तन हो रहे हैं। हिन्दी में रचे जाने वाले प्रवासी साहित्य किन्हीं दो देशों एवं संस्कृतियों के मध्य सेतु का कार्य कर रहा है।" विश्व हिन्दी-रचना के प्रकाशन का मूल उद्देश्य यही है कि भारतेतर देशों में अप्रवासी हिन्दी लेखकों ने जो अपने हिन्दी-प्रेम तथा हिन्दी-निष्ठा से हिन्दी में सर्जनात्मक साहित्य का छोटा-सा, किन्तु विश्व में चारों ओर फैला हुआ आकाश निर्मित किया है, उसे विश्व के हिन्दी-रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाये और हिन्दी-संसार को बताया जाये कि तूफानों-आँधियों और भंयकर बाधाओं के बावजूद हमने भी हिन्दी की एक छोटी-सी दुनिया बनाई है। यह दुनिया प्रत्येक देश की अपनी है, परन्तु उसकी आत्मा हिन्दी और भारतीयता की है। इस विश्व-हिन्दी रचना में भारत से बाहर के तेरह देशों में जन्में तथा उनमें रहने वाले हिन्दी-लेखकों की कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, निबन्ध, डायरी, पुस्तक-समीक्षा, बाल-साहित्य, भेंटवार्ता, यात्रा-वृत्तांत, व्याख्यान लघुकथा, लोक-साहित्य, संस्मरण तथा संपादकीय विधाओं की सेंकड़ों रचनाओं को संकलित किया गया और पहली बार भारत ही नहीं, भारतेतर देशों के हिन्दी लेखक इससे परिचित हुए कि गद्य एवं पद्य की इतनी विधाओं में भारतवंशियों ने हिन्दी में लिखा है और स्तरीय लिखा है। "दुनिया के तमाम देशों में से आज अनेक देशों में हिन्दी का पठन-पाठन तथा लेखन शुरू हो चुका है। हिन्दी साहित्य की तमाम विधाओं में लेखन भारतीय मूल के रचनाकारों द्वारा निरन्तर जारी है। जिससे गैर भारतीयों का भी हिन्दी और हिन्दुस्तान के साहित्य के प्रति रूप्ज्ञान बढ़ रहा है। हालाँकि जिस मात्रा में हिन्दी का पठन-पाठन होता है। उस मात्रा में साहित्य सृजन नहीं होता; फिर भी भूमंडलीकरण के इस दौर में हिन्दी का साहित्य पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित होकर विश्व में अपनी जगह बनाने में लगा है।" एक विद्वान के अनुसार हिन्दी विश्व की तीन प्रमुख भाषाओं में से एक है। ये भाषाएँ हैं - अंग्रेजी, हिन्दी

और चीनी। विश्व के 46 से अधिक देशों में हिन्दी भाषा का अध्ययन-अध्यापन होता है लेकिन इन सभी देशों में हिन्दी में साहित्य की रचना नहीं होती है। भारतेतर देशों में रचे जाने वाले हिन्दी-साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में बाँटकर देखा जा सकता है -

1. भारत से गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने वाले देशों में रचा हिन्दी-साहित्य: इन देशों में माँरीशस, फ़ीजी सूरीनाम, गयाना, ट्रिनीडाड ऐंड टुबेगो।

2. भारत के पड़ोसी देशों में भारतवंशियों द्वारा रचा हिन्दी-साहित्य: नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलंका एवं म्यांमार, बर्मा।

3. विश्व के अन्य महाद्वीपों के देशों में रचा हिन्दी साहित्य:

(क) अमेरिका महाद्वीप: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाड़ा, मौक्सिकों, क्यूबा।

(ख) यूरोप महाद्वीप: रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हालैण्ड, नीदरलैण्ड, आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, पोलैण्ड, चेक, हंगरी, रोमानिया, वाल्गारिया, उक्रेन तथा क्रोशिया।

(ग) अफ्रीका महाद्वीप: दक्षिण अफ्रीका, री-यूनियन द्वीप।

(घ) एशिया महाद्वीप: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, थाइलैंड।

(ङ) अस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया “

इन विभिन्न देशों में जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपना अभूतपूर्ण योगदान दे रहे हैं उनका नामोल्लेख करना भी उचित होगा। अलग-अलग देशों में बसे भारतीय मूल के रचनाकार क्रमशः इस प्रकार हैं - "अमेरिका: सुषम बेदी, अनिल प्रभा कुमार, सुदर्शन प्रियदर्शिनी, सुधा ओम ढींगरा, पुष्टा सक्सेना, रेणू राजवंशी गुप्ता, आस्था नवल आदि। आस्ट्रेलिया: श्यामली जीजी आदि। कनाड़ा-सुमन कुमार घई, शैलजा सक्सेना आदि। जापान-नीलम मलकानिया आदि। डेनमार्क-अचना पैन्यूली आदि। नार्वे - सुरेश शुक्ल शरद आलोक- आदि। ब्रिटेन- दिव्या माथुर, तेजेन्द्र शर्मा, उषा राजे सक्सेना, नीना पाँल, उषा वर्मा, महेन्द्र दवेसर, कादंबरी मेहरा, नीरा त्यागी आदि। शारजाह - पूर्णिमा वर्मन आदि चीन - अनिता शर्मा आदि। नीदरलैण्ड - पुष्पिता अवस्थी आदि। मारीशस - राज हीरामन, राजरानी गोबिन आदि। " इनके अलावा भी बड़ी संख्या में प्रवासी साहित्यकार हिन्दी साहित्य में सलग हैं जो निरन्तर हिन्दी - सेवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं।

ये साहित्यकार विश्वभर में हिन्दी की सेवा प्रमुख तीन स्तरों पर कर रहे हैं। साहित्य के स्तर पर, साहित्य सर्जन के माध्यम से। पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर, घर एवं घर से बाहर के सम्बन्धित समाज के लोगों को हिन्दी लिखना, बोलना व पढ़ना सिखाकर तथा अकादमिक स्तर पर विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन कराकर। "प्रवासियों की पहली पीढ़ी में घर में वे आपस में और बच्चों के साथ अपनी पारम्परिक भाषा का प्रयोग कर्मोबेश करते ही हैं। अंग्रेजी-प्रधान देशों में यह देखा गया है कि घर में भी अंग्रेजी का प्रयोग अक्सर बढ़ जाता है और अपनी मातृभाषा का प्रयोग कम हो जाता है। अंग्रेजी का प्रभाव होने के बावजूद अधिकतर घरों में ऐसा देखा गया है कि माता-पिता आपस में बातचीत या विचार-विनिमय के लिए अपनी भारतीय मूल की प्रमुख भाषा का प्रयोग कुछ-न-कुछ मात्रा में करते रहते हैं। साथ ही साथ उनमें से अधिकतर प्रवासी जन अपने मन में इस बात की कामना भी करते रहे हैं कि नए देश में आने के बावजूद उनके बच्चे उनकी मूल भाषा जानें, ताकि भारत के लोगों से, भारत की धर्म-संस्कृति से और भारत में पीछे रह गए रिश्तेदारों से उनका सम्बन्ध बना रहे। बहुत-से माता-पिता बच्चों को घर में ही लिखना-पढ़ना सिखाने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ समाज भाषा-भाषियों की संख्या पर्याप्त हो, वहाँ लोग मिलकर बच्चों के लिए अपनी संस्कृति सिखाने के निमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अक्सर भाषा सिखाने का प्रबन्ध सम्मिलित किया जाता है। " इसी तरह अकादमिक स्तर पर भी हिन्दी को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। एक तरफ जहाँ साहित्यकार विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों के माध्यम से हिन्दी को बहुतायत में प्रयोग करके हिन्दी भाषा के फ़लक का निर्माण कर रहे हैं वहीं विदेशों में कई विश्वविद्यालय भी इसके प्रचार-प्रसार को अनिवार्य मानते हुए इसे पाठ्य-क्रम में जगह दे रहे हैं। "विशेषकर अमेरिका में भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए विशेषकर भारत मूल के विद्यार्थियों को (परन्तु दूसरों को भी) आज चार कारणों से नया प्रोत्साहन मिला है। आज हर विचारशील व्यक्ति यह बात समझता है कि उदीयमान और आर्थिक दृष्टि से सशक्त भारत में लोगों से व्यवहार करने के लिए अंग्रेजी के अलावा हिन्दी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और भी भाषाएँ आती हों तो सोने पे सुगाहा है। दूसरा कारण हिन्दी सिनेमा है, जो प्रवासी भारतीयों के मनोरंजन का प्रधान स्रोत है। तीसरा कारण भारत में बसे रिश्तेदार हैं, जिनसे मिलने में दूरी अब व्यवधान नहीं है और फोन पर बातें करना और गप्प मारना इतना सस्ता हो गया है कि उनसे बाबार संपर्क बना रहता है। इन तीन कारणों के अतिरिक्त चौथा कारण है अमेरिका जैसे देश में विदेशी भाषाएँ सीखने के लिए नया प्रोत्साहन, जिसकी वहज से

भाषा-संबंधी कुछ अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी को भी अमेरिकी स्कूलों और काँलेजों में पढ़ाए जाने के लिए अपनी योजना का स्पष्टीकरण किया। आर्थिक दृष्टि से बढ़ते हुए भारत के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत करने के लिए हिन्दी के महत्व का विचार इस योजना के पीछे है। इन सब कारणों की वजह से अपनी परंपरिक भाषाओं के संरक्षण का और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने का एक नया वातावरण कम-से-कम अमेरिका में तो तैयार हो रहा है। “इस तरह देखें तो हिन्दी हर स्तर पर आगे बढ़ रही है। इसके पीछे इसका वैज्ञानिक होना, सरल, सुगम होना तो है ही साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में लिखा जाने वाला साहित्य भी है। सर्वविदित है कि भाषा न सिर्फ़ संस्कृति और इतिहास को सहेजने का माध्यम होती है अपितु किसी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति का कारण भी होती है। क्योंकि जो भाषा जितनी अधिक आम-बोलचाल से जुड़ी होती है उसमें उतने ही अधिक लोगों के बीच विचार विनिमय होता है, तथा व्यापार के रास्ते खुले रहते हैं। आज विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी मूल के देश आर्थिक रूप से कितने सम्पन्न हैं। इसी के आधार पर अंग्रेजीदां दुनिया के विभिन्न देशों पर राज करते आए हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए अपनी राष्ट्र भाषा का विश्वभर में अस्तित्व बना रहना चाहिए। नव उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के इस दौर में तो यह और भी अधिक जरूरी है। वर्तमान दौर में बहुत से लोगों को भारतीय भाषाओं का प्रसार और उनकी उन्नति बेकार लग रही है। क्योंकि एक समझ निर्मित कर दी गयी है कि अंग्रेजी ही काम आने वाली भाषा है। प्राच्यविद्या के समर्थक एच.टी.प्रिंसेप ने मैकाले की योजना का विरोध करते हुए याद दिलाना चाहा था कि 1813 के चार्टर की 43वीं धारा के अनुसार आर्थिक अनुदान भारत की जन-भाषाओं की समृद्धि के लिए और भारतीय भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वानों के कार्यों पर खर्च करना चाहिए। पूर्व स्वीकृत अनुदान को वापस लेना अन्यायपूर्ण कार्य है। विलियम बैटिक ने मैकाले का पक्ष लिया और मिनट्स में लिख दिया - सम्पूर्ण कोष को अंग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय करना सर्वोत्तम होगा। उसने साहित्यिक अनुसंधानों पर भी रोक लगा दी - महामहिम के ध्यान में यह बात आयी है कि कमेटी ने एक बहुत बड़ी निधि प्राच्य कृतियों के प्रकाशन पर व्यय की है। महामहिम निर्देश देते हैं कि अब से कोष का कोई अंश इस प्रकार के कार्य में न लगाया जाये। आज के व्यापारियों ने भी भारतीय भाषाओं की उन्नति से, उनमें दी जाने वाली शिक्षा और उनके साहित्यिक विकास से अपने हाथ खींच लिए हैं। “इस तरह देखें तो मैकाले के समय से लेकर आज तक हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हजार तरह की अड़चने पैदा की जाती रही हैं। ये अड़चने न केवल राष्ट्र-स्तर पर रहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तो और भी जटिल रूप में रही हैं। पराधीन भारत में तो इस तरह के प्रयास सामान्य बात थी, किन्तु स्वतंत्र भारत में हिन्दी विरोधी व्यवहार अधिक असहनीय और गैर वाजिब है। क्योंकि हिन्दी भाषा में ही भारत के मूल स्वभाव और एकता को वहन करने की क्षमता और सलीका है। इसलिए भारत की पहचान, अस्मिता, संस्कृति, इतिहास और अस्तित्व को बचाने एवं बढ़ाने के लिए हिन्दी भाषा का न केवल राष्ट्रीय वजूद बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय गौरव का फलना-फूलना भी नितान्त जरूरी है। ताकि भारत विश्व के साथ बराबरी से पेश आ सके और अपना आर्थिक उत्थान कर विकास की नित नई ऊँचाइयाँ छू सके।[7,8,9,10]

निष्कर्ष

कहना न होगा कि प्रवासी साहित्य द्वारा हिन्दी के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में पर्याप्त रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। “देश से इतर विदेशों में हिन्दी साहित्य के विकास में, इन साहित्यकारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ एक ओर भारत में रह रही युवा पीढ़ी अंग्रेजी के मोह में अंधी होकर अपनी मातृभाषा को ही गंवार कहती व खराब दृष्टि से देखती है। अंग्रेज बन जाने की होड़ में यह पीढ़ी न अपने संस्कारों का महत्व जान पाती है, न अपनी भाषा की महानाता को, जो कि विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली चंद भाषाओं में से है। दूसरी तरफ दूर देशों में बसे प्रवासी अपनी मातृभाषा के प्रति आसक्त व अनुरक्त रहते हैं। वहाँ के दूतावास के अधिकारी, प्राध्यापकों व साहित्यकारों के अतिरिक्त आम प्रवासी भी हिन्दी भाषा की हर गोष्ठी, पाठ, कवि सम्मेलन सामूहिक मिलन समारोह में अपनी शत-प्रतिशत भागीदारी निभाते हैं। वहाँ के साहित्यकार वहाँ केवल साहित्य सृजन करके ही अपनी भाषा के प्रति अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर लेते बल्कि वे अनेकानेक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी कर रहे हैं, उन्होंने हिन्दी भाषा के उत्थान व विकास के लिए कई संस्थाएँ व संघ भी बनाए हैं। आय दिन संगोष्ठी व सम्मेलन कर रहे हैं। नेट/अंतर्जाल के इस युग में अनेक ई-पत्रिकाओं का भी संचालन कर रहे हैं।” इस प्रकार सूचना और इन्टरनेट की क्रांति के इस युग में जब प्रवासी साहित्यकार हिन्दी के प्रचार-प्रसार में विश्व स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तब हमें भी चाहिए कि न सिर्फ़ उनको प्रोत्साहन दें, अपितु अपनी योग्यतानुसार हिन्दी को बढ़ाने के लिए रचनात्मक योगदान भी दें।[10]

संदर्भ

1. भारतीय भाषा परिचय; केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली; द्वितीय संस्करण 2010, पृष्ठ संख्या-556
2. वही, पृष्ठ संख्या-553

3. प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग से आगे; संपादक: कमल किशोर गोयनका; विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; प्रथम संस्करण-2015, पृष्ठ संख्या-12
4. वही, पृष्ठ संख्या-16
5. हिन्दी प्रवासी साहित्य; खण्ड तीन; संपादन-संकलन: डॉ. कमल किशोर गोयनका; यश पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली; प्रथम संस्करण; जनवरी 2016, पृष्ठ संख्या-17-18
6. वही, पृष्ठ संख्या-18
7. प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग से आगे: सम्बन्धित पेज।
8. हिन्दी प्रवासी साहित्य: खण्ड तीन; पृष्ठ संख्या-95; सुरेन्द्र गंभीर का लेज़: प्रवासी भारतीयों के घरों में हिन्दी का सीखना।
9. वही, पृष्ठ संख्या-97
10. भाषा ओर भूमंडलीकरण; संपादक-रमेश उपाध्याय, संज्ञा उपाध्याय; शब्दसंधान प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण-2008, पृष्ठ संख्या-51 लेख-शंभुनाथ।
11. googleweblight.com आलेख: प्रवासी साहित्यकारों का हिन्दी को अवदान; आशा पाण्डे (ओझा); access on 27-09-2017